कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।

पत्रांक: अ.नि.अ- 17/सीएफओ/06 दिनांक: 14 दिसम्बर, 2006

सेवा में,

प्रभारी भवन प्रकोष्ठ,
ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण,
जनपद -गौतमबुद्धनगर।

विषय: प्लाट नं0-8 सेक्टर पाई-02 अलिस्टोनिया स्टेट ग्रेटर नोएडा में मे0 यूनिटेक लि0 द्वारा ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण एवं अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में

---

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक प्रस्तावित आवासीय भवन से सम्बन्धित मानचित्र प्राप्त हुआ, जिनकी निरीक्षण एवं अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है-

1- भवन स्वामी द्वारा केवल अग्निशमन व्यवस्था के सम्बन्धित मानचित्र प्रस्तुत किये गये है।

2- मानचित्र में दर्शाई गई अग्निशमन व्यवस्था नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 पार्ट-4 के अनुरूप संतोषजनक पाई गई। प्राविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ जारी किया जाता है, कि भवन स्वामी द्वारा भवन में ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था एवं जीव रक्षा, अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था तथा विद्युत की व्यवस्था की स्थापना में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया के पार्ट-3 व पार्ट-4 तथा आई0एस0-3844-1989। 1995। का पालन किया जायेगा, यदि उपरोक्त में किसी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

रिपोर्ट सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संलग्न/मानचित्र

14/12

(अरुण चतुर्वेदी)
अरुण चतुर्वेदी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।

प्रतिलिपि:-

1-प्रबन्धक प्रस्तावित यूनिटेक ग्रुप हाउसिंग लि0 प्लाट नं0-8 से0पाई-02 को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

---

**कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोतमबुद्धनगर।**

पत्रांकःभ–72/सीएफओ/जीबीएन–09(जीएन)/89 दिनांकःजनवरी 21 2010.

सेवा मे,

महाप्रबन्धक, (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

**विषयः मैसर्स यूनिटेक लि0(एलेस्टोनिया स्टेट) प्लाट न0–जी0एच–08, सेक्टर पाई–2, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर मे निर्मित आवासीय भवन की अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक आवेदक मैसर्स यनिटेक लि0(एलेस्टोनिया स्टेट) प्लाट न0–जी0एच–08, सेक्टर पाई–2, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर **द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांकः29–12–2009 के द्वारा** प्रश्नगत भवन की अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में आख्या अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई हैं।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तो अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा की आख्या दिनांकः22–01–2010 के द्वारा निर्मित भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया कि भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर, होजरील, अण्डर गाउण्ड टैंक, आटोमेटिक स्प्रिकंलर सिस्टम, डाउनकामर, मेनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम, आटोमेटिक डिडेक्शन एण्उ एलार्म सिस्टम, होज केबिनेट, टेरिस टैंक, पम्पस, एफ0बी0 इन्लेट स्थापित पाये गये परीक्षण कराया गया तो कार्यशील दशा मे पाये गये तथा वर्तमान मे अग्निशमन व्यवस्थाऐं पर्याप्त है।

अतः अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा की आख्या एवं उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अनापत्ति हेतु अग्निशमन आख्या निम्न शर्तो के अधीन निर्गत की जाती हैः–

1– भवन प्रबन्धक को निर्देशित किया जायें कि भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

3– प्रत्येक छः माह मे एक बार भवन मे कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल /फायर ड्रिल कराई जायें तथा इमरजेन्सी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी समस्त अधिवासियो एवं सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

4– वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ के अनुरक्षण के अभाव मे अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा मे पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(महावीर सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रतिलिपिः 1– अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2– मैसर्स यनिटेक लि0(एलेस्टोनिया स्टेट) प्लाट न0–जी0एच–08, सेक्टर पाई–2, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।